POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 07.10.2025

1. थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा शेयर मार्केट में निवेश कर लाभ कमाने का झांसा देकर वादी से धोखाधड़ीपूर्वक 3,26,00,000 रुपये की ठगी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरण—दिनांक **07.10.2025** को **थाना साइबर क्राइम पुलिस** द्वारा संकलित सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए वादी को शेयर मार्केट में निवेश कर लाभ कमाने का झांसा देकर वादी से धोखाधड़ीपूर्वक 3,26,00,000 रुपये की ठगी करने वाले 03 अभियुक्त 1. सन्नी कुमार निवासी जनपद लखनऊ 2. दुर्गेश कुमार जनपद लखनऊ 3. विकास कुमार निवासी जनपद उन्नाव को लखनऊ व उन्नाव से **गिरफ्तार** किया गया है ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 12.06.2025 को वादी निवासी सेक्टर-27 नोएडा ने थाना साइबर क्राइम आकर सूचना दी कि रेट फाइन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कंपनी का कर्मचारी बनकर कुछ व्यक्तियों ने शेयर मार्केट में निवेश कर लाभ कमाने का झांसा देकर ₹3,26,00,000 विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर करवा लिए। वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना साइबर क्राइम में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में संबंधित बैंक खातों को तत्काल फ्रीज कराया गया ।

पूछताछ का विवरण-- पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्त सन्नी कुमार ने अपने साथियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी करते हुए वादी मुकदमा के ₹23 लाख अपने बैंक खाते में प्राप्त किए। उक्त धनराशि को निकालकर उसने अपने साथी विकास निवासी दिल्ली को सौंप दिया, जिसमें से विकास द्वारा ₹1 लाख अभियुक्त सन्नी निवासी थाना क्षेत्र सरोजनीनगर, लखनऊ को दिया गया। इस धनराशि को सन्नी ने अपने दो अन्य साथियों (1) दुर्गेश निवासी थाना क्षेत्र बंथरा, लखनऊ (2) विकास कुमार निवासी थाना क्षेत्र सोहरामऊ, उन्नाव के साथ आपस में बाँट लिया ।

उपरोक्त अभियुक्तों को लखनऊ एवं उन्नाव से गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार अभियुक्तगणों द्वारा धोखाधड़ी से संबंधित धनराशि अपने बैंक खातों में प्राप्त कर उसका अनुचित लाभ उठाया गया है। उल्लेखनीय है कि उक्त अभियोग में पूर्व में 09 अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. सन्नी कुमार निवासी थाना क्षेत्र सरोजनीनगर, लखनऊ, उम्र 22 वर्ष, शिक्षा-10वीं पास ।
2. दुर्गेश कुमार निवासी थाना क्षेत्र बंथरा, लखनऊ, उम्र 23 वर्ष, शिक्षा- 10 वीं पास ।
3. विकास कुमार निवासी थाना क्षेत्र सोहरामऊ, उन्नाव, उम्र 27 वर्ष, शिक्षा- 10 वीं पास ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--
मु0अ0सं0- 54/2025 धारा 318(4),319(2),338,336(3),340(2),61(2) बीएनस व 66 डी आइटी एक्ट, थाना साइबर क्राइम, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

नोट : साइबर जागरूकता हेतु सुझाव बिन्दु–

1. साइबर से संबंधित किसी भी समस्या या अपराध की सूचना के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें या साइबर क्राइम की आधिकारिक वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें।
2. अपना आधार नंबर, पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण या अन्य संवेदनशील जानकारी किसी अज्ञात व्यक्ति या अनधिकृत स्रोत को न दें।
3. शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर किसी भी व्यक्ति या कंपनी द्वारा निवेश का झांसा देने पर तुरंत सत्यापन करें; केवल मान्यता प्राप्त और नियामक द्वारा लाइसेंस प्राप्त प्लेटफॉर्म पर ही निवेश करें।
4. ऑनलाइन शेयर मार्केट निवेश के दौरान किसी भी तरह की अत्यधिक लाभ का वादा या दबाव देने वाले संदेशों को अविश्वसनीय मानें और उनकी सूचना साइबर क्राइम सेल को दें।

2. थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा डिजिटल अरेस्ट कर धोखाधड़ी/ठगी करने वाले गैंग का 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 21/08/2025 को वादिया निवासी ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर द्वारा थाना साइबर क्राइम, नोएडा पर मु0अ0सं0 89/2025 धारा 308(2), 318(4), 319(2) बीएनएस व 66 डी आईटी एक्ट पंजीकृत कराया गया था, जिसमें अज्ञात साइबर अपराधियों द्वारा स्वंय को पुलिस अधिकारी बताकर वादिया को डिजिटल अरेस्ट कर जांच के नाम पर 40 लाख रुपए ट्रान्सफर कराकर धोखाधडी की गयी थी। विवेचना में त्वरित कार्यवाही करते हुए धोखाधड़ी मे लिप्त बैंक खातो को तत्काल फ्रीज़ कराया गया।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **07/10/2025** को **थाना साइबर क्राइम पुलिस** द्वारा अभिसूचना संकलन के आधार पर कार्यवाही करते हुए वादिया को डिजिटल अरेस्ट कर 40,00,000 रुपए की धोखाधड़ी/ठगी करने वाले अभियुक्त राकेश पुत्र पवन कुमार को जनपद पानीपत, हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि वह पानीपत में प्राईवेट नौकरी करता है, जहां उसका संपर्क साइबर अपराध में लिप्त करन निवासी पानीपत हरियाणा से हो गया था। उक्त धोखाधड़ी में दोनों अभियुक्तों ने मिलकर 4,98,703 रुपये की निकासी की है और पैसे आपस में कमीशन के रूप मे वितरित कर लिए।अभियुक्त साइबर अपराधियों को म्यूल बैंक खाते भी उपलब्ध कराता था। अभियुक्त करन, जिला कारागार करनाल, हरियाणा मे निरुद्ध है, जिसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का विवरण--

राकेश पुत्र पवन कुमार निवासी आजाद नगर, पानीपत, हरियाणा वर्तमान पता जाटटाल रोड़, पानीपत, हरियाणा उम्र 29 वर्ष।

बरामदगी का विवरण--

घटना में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन

साइबर जागरूकता सुझाव बिन्दु–

1. किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा वाट्सअप कॉल और video call द्वारा पुलिस की वर्दी पहन कर किये जा रहे कॉल पर यकीन करने से पूर्व उक्त मो0न0 और बताये गये नाम व पद को GOOGLE SEARCH के द्वारा अथवा सम्बन्धित विभाग की वेवसाइट पर उपलब्ध अधिकारियों का और उनकी तैनाती स्थल की जाँच पडताल के बाद ही बतायी जा रही किसी बात का यकीन करें।
2. किये गये What's app call और video call के विषय में एक बार कोई जानकारी साझा करने से पूर्व उक्त मो0न0 के विषय में निकटवर्ती Cyber cell अथवा सम्बंधित विभाग जैसे नार्कोटिक्स, फेडेक्त कोरियर, CBI आदि विभिन्न संस्थानो के हेल्प डेस्क से भी जॉच पडताल करें।
3. अगर आपके द्वारा कोई भी पार्सल नही भेजा गया है अथवा पार्सल में यदि बताया जा रहा है कि एक पार्सल मिला है जिसमें आपका आधार कार्ड या मो0न0 मिला है उक्त कॉल पर यकीन ना करें वह साइबर क्रिमिनल का कॉल हो सकता है। अगर किसी विधिक कानूनी कार्यवाही की धमकी दी जा रही हो तो घबराये नही तत्काल इस बात की सूचना सम्बन्धित / निकटवर्ती थाने में अवश्य दें।
4. अगर आपके आधार की आई0डी0 /आपके नाम से कोई बैंक खाता खोले जाने की बात कही जा रही हो तो उसे तत्काल ब्लॉक कराने के लिये सम्बन्धित नजदीकी बैंक जाकर उक्त के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र कर उक्त बैंक खाते को बन्द कराने की कार्यवाही को अमल में लाया जाये।
5. यदि What's app call और video call द्वारा आपके खाते में हवाला अथवा मनी लॉन्ड्रिंग से सम्बन्धित धनराशि आने की बात कही जाये तो उक्त कॉल पर यकीन न करें क्योकि कोई भी सरकारी संस्था मनी लान्ड्रिग अथवा हवाले के पैसे के सम्बन्ध में द्वारा दूरभाष अवगत नही कराती है।
6. अगर What's app call अथवा video call द्वारा आपके खाते की जॉच के उपरान्त कोई पुलिस Clearance certificate की बात की जाती है तो निश्चित तौर पर Cyber Fraudsters आप को गुमराह कर आप के खाते में मौजूद बैंक धनराशि को अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकते है।
7. किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा यदि आपको What's app call या video call कर आपको डराया या धमकाया जाता है तो आप अपने घर में मौजूद अन्य सदस्यो अथवा रिश्तेदारो को भी इसके विषय में अवश्य जानकारी दें।

3. थाना फेस-3 पुलिस द्वारा एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **07.10.2025** को **थाना फेस-3 पुलिस** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से वांछित अभियुक्त दशरथ साहू पुत्र राम सहाय उर्फ रामूआ साहू को मथुरा से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद किया गया है।

घटना/ पूछताछ का संक्षिप्त विवरण--

अभियुक्त दशरथ साहू द्वारा वादिया व उसके पति के साथ विवाद कर 05 लाख रुपये की मांग की गई तथा पैसे न देने पर वादिया के पति से फिरौती मांगने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में फँसाने की धमकी दी गई। वादिया द्वारा पैसे देने से इनकार करने पर अभियुक्त अपने घर से स्वयं गायब हो गया और ट्रेन द्वारा दूर चला गया। अभियुक्त ने अपहरण का झूठा ड्रामा रचकर वादिया को डरा-धमकाकर 05 लाख रुपये की अवैध उगाही करने का प्रयास किया तथा अपनी पत्नी को यह कहकर भ्रमित किया कि उसका अपहरण वादिया व उसके पति द्वारा करा लिया गया है। पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसने वादिया व उसके पति को फँसाने के उद्देश्य से स्वयं ही अपने अपहरण का नाटक रचा और अपनी पत्नी के व्हाट्सएप पर संदेश भेजकर यह दर्शाया कि उसे वादिया के पति के कहने पर अपहरणकर्ताओं ने पकड़ लिया है और छुड़ाने के लिए 05 लाख रुपये की मांग की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

दशरथ साहू पुत्र राम सहाय उर्फ रामूआ साहू निवासी ग्राम व थाना बडामलहरा, छत्तरपुर (मध्य प्रदेश) वर्तमान पता गढी चौखण्डी, थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर, उम्र 34 वर्ष, शिक्षा- कक्षा 8वीं।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 424/2025 धारा 308(6) बीएनएस, थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

घटना में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन